

2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 73/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1600(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटी आर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में केन्द्रीय कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. 73/2017—Central Tax

G.S.R. 1600(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of central tax in the said return is nil, the amount of late fee payable **under section 47 of the said Act**, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 74/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1601(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1121(अ), तारीख 30 अगस्त, 2017 द्वारा